अध्ययन प्रस्ताव हेतु विज्ञप्ति

भूमि संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु नीति, नियोजन एवं समन्वय के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण, नगरीय समस्याओं आदि के लिये भूमि उपयोग परिषद, नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रतिष्ठित शोध संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से भूमि संसाधनों से सम्बन्धित विभिन्न आयामों पर अध्ययन कराये जाने हैं।

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

1. 'उ0प्र0 में जलवायु क्षेत्रों (Agro climatic) के आधार पर भूमि उपयोग विन्यास की प्रवृत्ति Sample Study''
2. 'नगरीय विस्तार से भू उपयोग पर प्रभाव–जनपद गोरखपुर/बरेली के विशेष सन्दर्भ में''

संस्था/विश्वविद्यालय की न्यूनतम अर्हता/पात्रता विषयक विवरण, अध्ययन सम्बन्धित विवरण तथा अन्य जानकारी भूमि उपयोग परिषद के कार्यालय अथवा विभाग की वेबसाइट http/upgov.nic.in/Planning से प्राप्त की जा सकती है।

(मृदुला सिंह)
अपर निदेशक
भूमि उपयोग परिषद, नियोजन विभाग
पंचम तल, योजना भवन, लखनऊ
दूरभाष : 0522–2238978

''उ0प्र0 में जलवायु क्षेत्रों (Agroclimatic) के आधार पर भूमि उपयोग विन्यास की प्रवृत्ति'' विषयक अध्ययन :–

उ0प्र0 को Agro climatic zone के आधार पर नौ भागों में विभक्त किया गया है जिसके अन्तर्गत जनपदों की भूमि, मिट्टी, जल आदि की अलग–अलग विशेषतायें हैं।

I (1) भाभर एवं तराई :– भाभर एवं तराई क्षेत्र में सहारनपुर जनपद का 58% मुजफ्फरनगर जनपद का 10%, बिजनौर का 79%, रामपुर का 40%, मुरादाबाद का 21%, बरेली का 19%, पीलीभीत का 75%, लखीमपुर खीरी का 39%, बहराइच का 47%, श्रावस्ती का 71%, एवं शाहजहांपुर का 6%, भूभाग इस क्षेत्र में सम्मिलित है।

इस क्षेत्र में औसत वर्षा 1400mm, मिट्टी में बजरी एवं छोटे पत्थर पाये जाते है। फसल सघनता 146% है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या भूमि कटाव एवं जल भराव है।

(2) पश्चिमी मैदानी क्षेत्र :– इस क्षेत्र में सहारनपुर का 42% मुजफ्फरनगर का 90% मेरठ गाजियाबाद बुलन्दशहर, बागपत एवं गौतमबुद्धनगर आच्छादित है।

इस क्षेत्र में औसत वर्षा है 600mm। मिट्टी गंगा यमुना दोआब की कृषि योग्य भूमि है। फसल सघनता 157% है। यहां भी भूमि की मुख्य समस्या जल भराव एवं क्षारीय भूमि है।

(3) मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र :– इस क्षेत्र के अन्तर्गत ज्योतिबाफुलेनगर, मुरादाबाद का 79%, रामपुर का 60%, बरेली का 81%, बदायूं, शाहजहांपुर का 94%, पीलीभीत का 25% तथा बिजनौर 21% क्षेत्र सम्मिलित है।

इस क्षेत्र में औसत वर्षा 1200 mm है। इस क्षेत्र की मिट्टी क्षारीय एवं बलुई है। फसल सघनता 160% है। बदायूं जनपद की सबसे बड़ी समस्या दियारा भूमि है तथा लवणता एवं क्षारीयता भी एक समस्या है।

(4) पश्चिमी उत्तरी अर्ध मरूस्थलीय मैदानी क्षेत्र :– इस क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा मैनपुरी एटा एवं कांशीरामनगर आते हैं।

इस क्षेत्र की औसत वर्षा 770mm है। यहां की मिट्टी क्षारीय एवं पथरीली है। फसल सघनता 140% है। मुख्य समस्या भूजल स्तर का बहुत नीचे होना तथा भूमि क्षारीय एवं मोरंगयुक्त है।

(5) केन्द्रीय मैदानी क्षेत्र :– इस क्षेत्र के अन्तर्गत लखनऊ कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, औरैया, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी 60%, फतेहपुर, इलाहाबाद का 58% तथा कौशाम्बी जनपद आते हैं।

यहां पर औसत वर्षा 1020mm है। फसल सघनता 155% है। यहां की क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी मुख्य समस्या है। जलभराव से भी क्षेत्र प्रभावित है।

(6) बुन्देलखण्ड क्षेत्र :– इस क्षेत्र के अन्तर्गत झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा एवं चित्रकूट जनपद आते हैं।

इस क्षेत्र में औसत वर्षा 1000mm होती है। फसल सघनता 111% है। अकृषीय मिट्टी, जल का स्तर नीचा होना एवं भूक्षरण क्षेत्र की मुख्य समस्या है।

(7) उत्तरी पूर्वी क्षेत्र :– इस क्षेत्र के अन्तर्गत गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती 29%, बस्ती, संतकबीरनगर सिद्धार्थनगर, गोण्डा एवं बहराइच जनपद का 53% क्षेत्र सम्मिलित है।

इस क्षेत्र में औसत वर्षा 470mm है। मिट्टी मुख्यतया दोमट एवं मटियार है। फसल सघनता 152% है। बाढ़ इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है।

(8) पूर्वी क्षेत्र :– इस क्षेत्र के अन्तर्गत आजमगढ़, मऊ, बलिया, प्रतापगढ़, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर एवं संतरविदासनगर का 86% क्षेत्र सम्मिलित है।

इस क्षेत्र की औसत वर्षा 800mm है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सिल्ट युक्त एवं चिकनी मिट्टी है। फसल सघनता 138% है। मिट्टी में लवणता, क्षारीयता तथा दियारा भूमि तथा जल प्लावित क्षेत्र मुख्य समस्या है।

(9) विन्ध्य क्षेत्र :– इस क्षेत्र में इलाहाबाद जनपद का 42%, संतरविदासनगर का 14% क्षेत्र, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद सम्मिलित हैं।

इस क्षेत्र में औसत वर्षा है 1100mm है। मिट्टी पथरीली एवं कंकरीली है। फसल सघनता 135% है। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या पथरीली भूमि है।

II अध्ययन के उद्देश्य :–

1. उ0प्र0 में जलवायु क्षेत्रों के अनुसार भूमि उपयोग विन्यास की प्रवृत्ति।
2. समस्याग्रस्त भूमि का चिन्हीकरण।
3. समस्याओं का आंकलन करके उनकी प्राथमिकतायें तय करना।
4. जलवायु एवं भूमि की स्थिति के अनुसार कृषि उत्पाद की समस्या।
5. प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु सुझाव।

6. कृषि सघनता एवं कृषि विविधीकरण की सम्भावनायें।

7. जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के भाग को दृष्टिगत रखते हुए अगले 20 वर्षों हेतु भूमि उपयोग को प्रक्षेपित करना।

8. प्रत्येक जलवायु क्षेत्र हेतु, भूमि उपयोग का मॉडल विकसित करना।

III **अध्ययन का क्षेत्र –** प्रत्येक जलवायु क्षेत्र का एक–एक प्रभावित क्षेत्र की समस्यायें एवं उनका निराकरण।

IV **अध्ययन की अवधि –** वर्ष 2011–12

V **अध्ययन की अनुमानित लागतः–** प्रस्ताव के अन्तर्गत अध्ययन लागत में मदवार विवरण – स्टाफ का वेतन, यात्रा व्यय, स्टेशनरी, प्रकाशन एवं अन्य व्यय का अलग–अलग विवरण दें।

VI **संस्था का विवरणः–** 1.संस्थान पंजीकृत हो 2.संस्था का विषय से संबंधित कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव हो 3.संस्था के पास अवस्थापना संबंधी तकनीक आधुनिक सुविध हो।

VII अध्ययन प्रस्ताव प्रकाशन के एक माह के अन्दर भूमि उपयोग परिषद को उपलब्ध करा दिया जाये।

''नगरीय विस्तार से भू उपयोग पर प्रभाव–गोरखपुर/बरेली के विशेष सन्दर्भ ''

I विगत वर्षों में बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण नगरीय क्षेत्र पर भारी प्रभाव पड़ा है जिसके फलस्वरूप नगरों का तेजी से विस्तार हुआ है। नगरों तथा नगरीय क्षेत्रों के बेहतर नियोजन के लिये इस क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र के नगरीय भूमि उपयोग की जानकारी आवश्यक है। नगरीय भूमि उपयोग विन्यास विशेषकर विकासोन्मुख देशों में गतिमान प्रक्रिया हे जो तीव्र नगरीकरण, औद्योगीकरण व बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। नगरीकरण, शहरों के आसपास की उपजाऊ कृषि भूमि को निगल रही है। नगरीकरण का अध्ययन नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने के सम्बन्ध में उचित नियोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नगरीकरण, जो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, औद्योगीकरण, तथा जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप होती है तथा जिसका प्रभाव नगरीय अधिवास पर तेजी से पड़ता है, इसके लिये आवश्यक रूप से मूल्यवांन भूमि संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के नियोजन के माध्यम से संतुलित योजना बनाना है।

उ0प्र0 जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिये नगरीकरण पर अध्ययन और अधिक आवश्यक हो जाता है जहां पर राज्य की अधिकांश भूमि कृषि के अन्तर्गत है। उ0 प्र0 में नगरीकरण की तीव्र गति जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति के कारण है जो नगरीय क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। इससे एक तरफ नगरों के विस्तार से कृषि उपजाऊ भूमि पर प्रभाव पड़ता है तो दूसरी ओर इन बस्तीयों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था एक समस्या का रूप ले लेती है।

नगरीय विस्तार से भू उपयोग पर प्रभाव पर विस्तृत अध्ययन हेतु गोरखपुर एवं बरेली का चयन किया गया है। बरेली नगर की वर्ष 2001 में जनसंख्या 718396 थी जिसमें 156001 (21.72%) मलिन बस्तीयों में निवास करती थी। गोरखपुर नगर की 2001 में जनसंख्या 622701 थी जिसमें 53313 (8.58%) मलिन बस्ती में निवास करती थी।

उ0प्र0 शासन द्वारा नगरों को सुनियोजित विस्तार एवं विकास हेतु भूमि अर्जन के लिये समय–समय पर भूमि उपयोग परिषद, नगर विकास, औद्योगिक विकास द्वारा शासनादेश भी जारी किये जाते रहे हैं यथा दिनांकः 26 दिसम्बर, 1996 को विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद की आवासीय कालोनियों/नियंत्रित क्षेत्रों के लिये भू अर्जन के सम्बन्ध में नीति, जिसमें भू अर्जन की विसंगतियो को दूर करने के निर्देश है। आवास अनुभाग–1 के शासनादेश 258/6–आ–3–200/काम्प/2001(आ0ब0) द्वारा भूमि

उपयोग परिवर्तन के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारण, आदि शासनादेश निर्गत किये गये हैं। तथापि धरातल पर शासनादेशों का पूर्ण पालन होता है यह भी अध्ययन की आवश्यकता है।

II **अध्ययन के उद्देश्य :–**

1. विगत दस वर्षों में गोरखपुर एवं बरेली नगर का विस्तार एवं प्रदेश के सापेक्ष स्थिति।
2. नगर विस्तार हेतु अर्जित/आपसी समझौते से ली गयी कृषि एवं अकृषीय भूमि।
3. आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों द्वारा अर्जित एवं व्यक्तिगत विकसित कालोनियों द्वारा अर्जित की गयी भूमि की वर्तमान स्थिति ।
4. कृषि भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों/ग्रामों के सामाजार्थिक स्थिति पर प्रभाव।
5. विकसित नगरीय क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत विकसित कालोनियों की मूलभूत सुविधाओं की समस्यायें एवं सुझाव।
6. विकसित नगरीय क्षेत्र से कृषि उत्पादन, पर्यावरण आदि पर प्रभाव।
7. नगर के की Periphery area प्लान।

III **अध्ययन क्षेत्रः–** जनपद गोरखपरु एवं बरेली में विगत 10 वर्षों में विकसित क्षेत्र।

IV **अध्ययन अवधिः–** वर्ष 2011–12

V **अध्ययन लागतः–** अध्ययन लागत में प्रस्ताव के अन्तर्गत मदवार–स्टाफ का वेतन, यात्रा भत्ता, स्टेशनरी, प्रकाशन व्यय व अन्य व्यय दिये जायें।

VI **संस्था का विवरणः–** 1.संस्थान पंजीकृत हो 2.संस्था को विषय से संबंधित कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव हो 3.संस्था के पास अवस्थापना संबंधी तकनीक आधुनिक सुविधा हो।

VII अध्ययन प्रस्ताव प्रकाशन के एक माह के अन्दर भूमि उपयोग परिषद को उपलब्ध करा दिया जाय